

## विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1249 अतारांकित

नेगर पालिका परिषद, डोंगर परासिया में यूआईडीएसएसएमटी योजनांतर्गत जलावर्धन योजना अंतर्गत राशि रु. 29,28,65,000/- स्वीकृत हुई थी, कार्य के लिए विधिवत सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये जाने की कार्यवाही निकाय स्तर से प्रचलित होने से तत्समय राशि के उपयोग की आवश्यकता न होने पर निकाय के पास उपलब्ध राशि रु. 3,13,62,746/- की एफ.डी. दिनांक 17.07.2019 को मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक में कराई गई। जिसकी परिपक्वता अवधि दिनांक 06.10.2023 को पूर्ण होने उपरांत कैश कराई गई तथा निकाय को राशि रु. 3,74,80,909/- प्राप्त हुई।

इसके पश्चात पुनः राशि की आवश्यकता नहीं होने से दिनांक 20.10.2023 को राशि 3,00,00,000/- की एफ.डी. 01 वर्ष 01 दिन के लिए आई.सी.आई.सी.आई. बैंक में कराई गई। ठेकेदार द्वारा कराये गये कार्य के देयक की मांग किये जाने पर निकाय द्वारा सक्षम स्वीकृति उपरांत निर्धारित समयावधि के पूर्व एफ.डी. तुड़वाई गई।

राशि UIDSSMT योजना अंतर्गत जलावर्धन योजना मद के तहत प्राप्त हुई थी, जिसमें ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल का भुगतान करने हेतु उक्त एफ.डी. समय पूर्व तोड़ी गई एवं ठेकेदार के बिल का भुगतान किया गया। उक्त राशि की एफ.डी. कराने का मूल उद्देश्य राशि सुरक्षित रखना था, फिर भी प्रथम एफ.डी. से निकाय को राशि रु. 61,18,163/- ब्याज अर्जित हुई है। जिससे निकाय को आर्थिक क्षति का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अनुमोदित अधिकारी  
26/11/25  
मध्य प्रदेश शासन  
नगरपालिका एवं आवास विभाग

Sub-Engineer  
Urban Administration  
& Development

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास  
मध्यप्रदेश, भोपाल

क. / सां.प्र. / 07 / 2012 / 4577

भोपाल दिनांक 22/3/12

प्रति,

मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका परिषद् डोंगर परासिया  
जिला-छिंदवाड़ा

विषय: नगरपालिका डोंगर परासिया की यू आई डी एस एस एम टी योजनान्तर्गत स्वीकृत जल  
आवर्धन योजना राशि रु 2974.00 लाख की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ:-आपका पत्र क्रमांक 290 / स्था. / न.पा. / 2012 दिनांक 03.09.12.

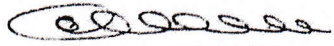
नगरपालिका डोंगर परासिया की यू आई डी एस एस एम टी योजनान्तर्गत स्वीकृत जल  
आवर्धन योजना राशि रु 2974.00 लाख की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति "मेयर इन  
काउंसिल / प्रेसीडेंट इन काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं  
कर्तव्य नियम 1998" के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

1. बांध निर्माण के लिये डिजाइन की स्वीकृति ब्यूरो ऑफ डिजाइन बोधी, जल संसाधन  
विभाग मप्र से कराने की शर्त निविदा में सम्मिलित करनी होगी।
2. मध्यप्रदेश नगरपालिका लेखा नियम 1971 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका (मेयर इन  
काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम  
1998 के नियम 5 के अन्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति लिया जाना सुनिश्चित  
करें।
3. जल आवर्धन योजना क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक संपूर्ण राशि एवं वित्तीय व्यवस्था  
नगरपालिका परिषद् डोंगरपरासिया द्वारा स्वयं की जायेगी।
4. जल आवर्धन योजना हेतु आवश्यक भूमि की उपलब्धता एवं स्वामित्व संबंधी जिम्मेदारी  
निकाय की होगी।
5. एबस्ट्रेक्ट शीट में दर्शाये गये सभी आयटमों का विस्तृत प्राक्कलन एवं मानचित्र बनाने पर  
प्राक्कलन की राशि अथवा प्राप्त निविदा दर जारी की गई प्रशासकीय स्वीकृति से 20  
प्रतिशत से अधिक होने पर पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाये।
6. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इंटेकवेल, औव्हर हैड टैंक, सम्पवेल एवं अन्य समस्त घटकों की  
डिजाइन, संबंधित आई.एस.कोड, सी.पी.एच.ई.ई.ओ मैनुअल, ब्यूरो ऑफ डिजाइन जल  
संसाधन विभाग के जारी सरकुलर आदि स्पेसिफिकेशन अनुसार किया जाना सुनिश्चित  
करें। निर्माण कार्य पूर्व योजना के अंतर्गत सभी घटकों की विस्तृत ड्राइंग डिजाइन बनाई  
जाकर सक्षम अधिकारी द्वारा परीक्षण / अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
7. स्रोत का कम्पोजिट ले आउट प्लान क्रियान्वयन के पूर्व तैयार किया जाये, सभी महत्वपूर्ण  
लेवलों का अंकन हो।
8. निविदा आमंत्रण लागत में Cost Escalation Clause & contingencies न जोड़ा जाये।
9. विद्युत संबंधी लाईन एवं उपकरण की डिजाइन ए-क्लास लाईसेंस प्राप्त अधिकारी से  
तैयार करवाई जाये।
10. उपरोक्त शर्तों की पूर्ति का जिम्मेदारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका  
डोंगरपरासिया की होगी।

Sub-Engineer  
Urban Administration  
& Development

11. नगरपालिका द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में सम्मिलित स्टॉफ क्वार्टर यूआईडीएसएसएमटी योजना अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है। अतः इस कार्य पर होने वाला व्यय नगरपालिका को स्वयं के स्रोत से करना होगा।
12. नगरीय निकाय द्वारा ई-निविदा आमंत्रित की जानी होगी।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

  
मुख्य अभियंता 24/7/12  
नगरीय प्रशासन एवं विकास  
मध्यप्रदेश, भोपाल 2  
भोपाल दिनांक

पृष्ठांकन क्र./यां.प्र./07/2012  
प्रतिलिपि:-

कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ।

मुख्य अभियंता  
नगरीय प्रशासन एवं विकास  
मध्यप्रदेश, भोपाल

  
Sub-Engineer  
Urban Administration  
& Development